न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 4 / 2021 (उदयपुर आर्डर)

1. आनन्द बोर्दिया पिता केसरीमल जी बोर्दिया, निवासी फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती मीरा बोर्डिया पत्नी आनन्द जी बोर्दिया, नि0 फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. दौलतसिंह पिता दूल्हेसिंह जी राव, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरूसिंह पिता दूल्हेसिंह जी राव, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रूकमण कुंवर उर्फ हगाम कुंवर पत्नी भैरूसिंह जी राणा, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. दूल्हेसिंह पिता चतरसिंह जी राव, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. नरेश कुमार पिता स्वर्गीय बी.सी.जैन, निवासी 3, क्लेकंर्स रोड़, सेकेण्ड फ्लोर, विजय काम्पलेक्स, माउण्ट रोड, चेन्नई–2
6. हमेरसिंह पिता खुमाणसिंह जी राजपूत, निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती कुंवर मोनिका सिंह उर्फ धारित्री सिंह पिता महिपालसिंह जी राजपूत, निवासी लावा सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द हाल निवासी चिकलवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 225 राज0
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक), गिर्वा
दिनांक 02.01.2018 प्र.सं. 164/13
प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री सत्यप्रकाश व्यास अभि. रे. सं. 1 से 4

3– श्री प्रणय सनाढ्य अभिभाशक रेस्पो. सं. 7

4– श्री कमलेश चौ[illegible]जकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:43 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 09–11–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चिकलवास में आराजी नंबर 2285 से 2297, 2356 से 2358, 2360 से 2372, 2377 से 2385 कुल किता 38 रकबा 10.6350 एयर भूमि स्थित है, जिसका पक्षकारों के मध्य अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 4 व 5 की है, जिसमें अन्य विपक्षीगण का कोई हित एवं अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 2 व 3 का खाते में गलत अंकन हो गया है, जिससे उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विपक्षी संख्या 1 धनाढ्य व बाहरी व्यक्ति होकर उक्त भूमि में जबरन प्रवेश कर जबरन कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 द्वारा बनाये जा रहे कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को तुरन्त रोका जावे तथा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें न किसी अन्य से करावें तथा मौके पर किये जा रहे निर्माण कार्य को रोका जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात में सभी हिस्सेदारों का अपने हिस्से अनुसार कब्जा है तथा मौके पर जमीन बटी हुई है। प्रार्थीगण ने झूठे आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सव्यय खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–01–2018 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 10/2018 प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09–11–2020 से इस आधार पर खारिज की गयी कि पक्षकारों के मध्य अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है एवं मूलवाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं, किन्तु अपीलान्ट चाहे तो नियमानुसार भुल्क जमा करवाकर मौ[illegible] की जांच करवाकर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। मौका रिपोर्ट आने तक अपील खारिज की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्ट द्वारा मौका रिपोर्ट तथा पर्चा मौका मय नक्षा प्रस्तुत कर यह अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से वकील श्री प्रणय सनाढ्य उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपास्थित। वकील अपीलान्ट श्री संजय बोहरा की ओर से भी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसकी वैधानिकता एवं पोशणीयता पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जो भाामिल पत्रावली है। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में सिर्फ विपक्षी संख्या 1 नरे ा के विरूद्ध रिलीफ चाही गयी थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक अपीलान्टगण के विरूद्ध अस्थायी निशेधाज्ञा जारी कर दी, जो निरस्त योग्य है। अपीलान्टगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार होकर अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निशेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। आप न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट आने तक अपील खारिज की गयी थी। आप न्यायालय के आदे ा की पालना में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर मय मौका पर्चा एवं नक ाा आप न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जिससे सारी बाते स्पश्ट हो गयी हैं। अतः अपील स्वीकार कर आप न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 09–11–2020 एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–01–2018 निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर ली गयी अपनी आपत्तियों को पुनः दोहराते हुए में बताया कि आप न्यायालय को अपने निर्णय को बदलने का अधिकार नहीं है। माननीय अपील न्यायालय को कि तों में निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, जैसाकि निर्णय में वर्णित वाक्यां ा ''मौका रिपोर्ट आने तक अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।'' इस मामले में तो अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की जानी है अथवा नहीं यह तय किया जाना था, जिसे साल भर पहले ही किया जा सकता था, जाकर तय किया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:43 IST
Reason: SelfAttested

चुका है। आप न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–11–2020 पक्षकारान पर बाध्यकारी हो चुका है, जिसके अनुसार अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02–01–2018 यथावत रखा जा चुका है। लिखित बहस में जो तथ्य अपीलान्ट द्वारा उठाये गये हैं उन पर विवेचन के बाद ही आप न्यायालय द्वारा दिनांक 02–11–2020 को अपील खारिज की जा चुकी है। अतः लिखित बहस अवैधानिक एवं पोशणीय नहीं होने से विचारार्थ ग्रहण नहीं की जावे तथा गुणावगुण पर सुने बिना ही अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 09–11–2020 में मौका रिपोर्ट आने तक अपील खारिज की गयी थी। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर आयी भूमि पर काबिज होकर सभी सहखातेदारान अलग–अलग का त करते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के विरूद्ध जो अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की गयी है, उसे हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–11–2020 एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–01–2018 अपास्त किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 09–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:43 IST
Reason: SelfAttested